

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) सिद्धसमा

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पृथ्वीसिंह उनवान  
बनाम राजकान्त राणा

दावा बाबत नाम डुरस्ती पीस 88RTA

मुकदमा नम्बर :- 78/2022

निर्णय दिनांक :- 20.05.2022

वादी की ओर से ..... की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.05.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

यदि वादी पृथ्वीसिंह द्वारा नाम डुरस्ती पीस 88RTA के स्थान पर पृथ्वीसिंह पुत्र गुगन राम नाम डुरस्ती को देने की घोषणा की जाती है तब ही पक्षों के बीच डिक्री के अन्तर्गत राज के अधिकारों को नाम डुरस्ती व पक्षों में मद्ति के द्वारा प्रमाणित किया जाता है।  
वादी नाम डुरस्ती को नाम डुरस्ती (कडी डुरस्ती) को देकर तब ही डुरस्ती को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

यह आज तारीख ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( सत्यनारायण )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

1200  
20.05.2022

